# न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

## हकियत वाद–83 / 2013

सुनील सिंह वगैरह.....वादीगण

बनाम

मनोज सिंह वगैरह.....प्रतिवादीगण

25.10.24 अभिलेख आज प्रतिवादी प्रथम पक्ष की ओर से वकालतनामा के साथ हाजरी दाखिल करते हुए न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–14.06.2024 को वापस लेने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–19.07.2024 तथा उसके तत्संबंधित प्रतिवादी द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक–16.08.2024 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिवादी प्रथम पक्ष ने अपने आवेदन में यह निवेदन किया है कि वर्तमान वाद प्रतिवादी प्रथम पक्ष का साक्ष्य हेतु चल रहा था जिसमें प्रतिवादी को साक्ष्य देना था परन्तु जो प्रतिवादी वाद की देख–रेख करते थे वे बाहर चले गए और अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं होने के कारण वे उचित पैरवी नहीं कर सके जिसके कारण प्रतिवादी प्रथम पक्ष का साक्ष्य न्यायालय आदेश दिनांक–14.06.2024 को बन्द कर दिया गया। प्रतिवादी प्रथम पक्ष की ओर से कोई दस्तावेज भी प्रदर्श अंकित नहीं हो सका है और मात्र दो–तीन साक्षी का ही साक्ष्य करवाना है। प्रतिवादी प्रथम पक्ष का साक्ष्य वापस नहीं लिए जाने पर उन्हें अपूर्णीय क्षति होगी तथा अगर उनका साक्ष्य वापस लिया जाता है तो वे प्रत्येक तिथि को उचित पैरवी हु तत्पर रहेगा। अतः आदेश दिनांक–14.06.2024 को वापस लेते हुए उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने की कृपा की जाए।

अपने प्रत्युत्तर में वादी ने निवेदन किया है कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष का आवेदन विधि एवं तथ्य की दृष्टि से पोषणीय नहीं है एवं खारिज किए जाने योग्य है। वादी का साक्ष्य बन्द होने के पश्चात् अभिलेख वर्ष, 2019 से प्रतिवादी साक्ष्य के लिए चला आ रहा है और 2000 / – रुपये खर्च लगने के बाद भी जब प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया तब जाकर प्रतिवादी प्रथम पक्ष का साक्ष्य दिनांक–14.06.2024 को बन्द किया गया। प्रतिवादी प्रथम पक्ष वाद को लंबित रखने के उद्देश्य से आवेदन दाखिल किया है जो खारिज होने योग्य है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद में वादी साक्ष्य बन्द होने के तत्पश्चात् अभिलेख प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत हुआ तथा अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है प्रतिवादी प्रथम पक्ष को साक्ष्य एवं दस्तावेजीय साक्ष्य हेतु अवसर प्रदान किया जाना उभय पक्षों के मध्य विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण हेतु एवं वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन हेतु आवश्यक प्रतीत होता है। अतः न्याय के उद्देश्य से अभिलेख को पुनः प्रतिवादी प्रथम पक्ष के साक्ष्य पर नियत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार प्रतिवादी प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल उपरोक्त आवेदन स्वीकृत करते हुए न्यायालय आदेश दिनांक–14.06.2024 को वापस लिया जाता है तथा प्रतिवादी प्रथम पक्ष को निर्देश दिया जाता है कि वे अगली तीन तिथियों के भीतर अपना साक्ष्य पूर्ण करें।

अभिलेख दिनांक– 07-01-2025 वास्ते प्रतिवादी प्रथम पक्ष साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।